उत्तर प्रदेश शासन
आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1
संख्या:-1186/78-1-2025-78-01099/223/2025
लखनऊः दिनांकः04-09-2025

अधिसूचना

भारत के संविधान के अनुच्छेद-162 के अन्तर्गत कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल **''उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स घटक विनिर्माण नीति-2025 (UTTAR PRADESH ELECTRONICS COMPONENT MANUFACTURING POLICY-2025)''** प्राख्यापित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- ''उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स घटक विनिर्माण नीति-2025 (UTTAR PRADESH ELECTRONICS COMPONENT MANUFACTURING POLICY-2025)'' दिनांक 01 अप्रैल, 2025 से 06 वर्ष तक प्रभावी रहेगी।

Digitally signed by
ANURAG YADAV
Date: 04-09-2025
19:17:14

(अनुराग यादव)
प्रमुख सचिव

संख्या:-1186(1)/78-1-2025 तद्दिनाक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2- अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0।
3- प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0।
4- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
5- महालेखकार उ0प्र0, प्रयागराज।
6- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0।
7- स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
8- निजी सचिव, मा0 मंत्री, आई0टी0 एवं इले0 विभाग, उ0प्र0।
9- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, आई0टी0 एवं इले0 विभाग, उ0प्र0।
10- प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी, लखनऊ।
11- गार्ड फाइल।

नीति की प्रति संलग्न।

आज्ञा से,

Digitally signed by
Neha Jain
Date: 04-09-2025
19:20:45

(नेहा जैन)
विशेष सचिव

उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स घटक विनिर्माण नीति- 2025

(UTTAR PRADESH ELECTRONICS COMPONENT MANUFACTURING POLICY -2025)

1. उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण नीति 2025 का परिचय:

1.1 राज्य पहले से ही इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर (ईएमसी) में अग्रणी है, जो विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे की मेजबानी करता है और उच्च-मूल्य वाले निवेश को आकर्षित करता है। देश के इलेक्ट्रॉनिक्स घटक उत्पादन में लगभग आधे योगदान के साथ, उत्तर प्रदेश ने आज खुद को इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित किया है, जो इसकी अर्थव्यवस्था के लचीलेपन और गतिशीलता को रेखांकित करता है और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग की विशाल क्षमता को उजागर करता है। राज्य में बढ़ते इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन, बड़े वैश्विक और घरेलू बाजार के आकार के साथ-साथ भू-राजनीतिक गतिशीलता राज्य में इस क्षेत्र के लिए एक महत्वाकांक्षी दीर्घकालिक रणनीति के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण और डिजाइन को बढ़ावा देने का एक उपयुक्त समय प्रदान करती है।

1.2 उत्तर प्रदेश को इलेक्ट्रॉनिक घटक विनिर्माण में एक अग्रणी वैश्विक क्षेत्र के रूप में स्थापित करने और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण नीति-2025 [UTTAR PRADESH ELECTRONICS COMPONENT MANUFACTURING POLICY (यूपी-ईसीएमपी) 2025] को अधिसूचित किया गया है।

1.3 यह नीति भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण पावरहाउस के रूप में राज्य में इस क्षेत्र के विषयगत विद्यमान सकारात्मक निवेश के सशक्त वातावरण और राज्य की इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में विद्यमान सामर्थ्य-शक्ति पर आधारित है, जहाँ नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना विकास प्राधिकरण (यीडा) जैसे इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर के क्षेत्र हैं जो आज वैश्विक पटल पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के हब में शामिल हैं और देश में मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन के लिए सबसे बड़े केंद्र हैं। सैमसंग, एलजी, डिक्सन, वीवो, हायर, ओप्पो, और मदरसन जैसी वैश्विक दिग्गज कंपनियां पहले से ही यहां काम कर रही हैं और फॉक्सकॉन जैसी सेमीकंडक्टर लीडर्स ने ओएसएटी (आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट) इकाई में निवेशक के रूप में अपनी परियोजना आरम्भ की है। जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के साथ-साथ दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारे (डीएमआईसी) के माध्यम से निर्बाध कनेक्टिविटी के साथ, प्रदेश निर्यात-उन्मुख विनिर्माण के लिए बेजोड़ कनेक्टिविटी का लाभ प्रदान करता है। जिससे निश्चित रूप से राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर घटक आपूर्ति

श्रृंखला पारिस्थितिकी तंत्र और मजबूत होगा।

1.4 इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) की इलेक्ट्रॉनिक्स घटक **विनिर्माण योजना (ECMS जिसको राजपत्र अधिसूचना संख्या CG-DL-E-08042025- 262341 दिनांक 08 अप्रैल 2025 के माध्यम से अधिसूचित किया गया है)** के अनुक्रम में राज्य में इस उद्योग के प्रोत्साहन हेतु पूरक योजना के रूप में यूपी-ईसीएमपी 2025 नीति डिज़ाइन की गई है, जिसमें अतिरिक्त राज्य प्रोत्साहन, शीघ्र मंज़ूरी और घटक स्थानीयकरण, अनुसंधान और विकास तथा रोज़गार सृजन के लिए लक्षित प्रोत्साहन प्रदान किया जाना प्रस्तावित गया है। इस नीति का उद्देश्य प्रदेश के मज़बूत औद्योगिक आधार, कुशल कार्यबल और नीति स्थिरता का लाभ उठाकर, राज्य को 2030 तक इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण केंद्र के महत्वपूर्ण हब के रूप में स्थापित करना है, जिससे आर्थिक तरक्की, रोजगार के साथ ही महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक्स आपूर्ति श्रृंखलाओं में भारत की आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। यह नीति उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स नीति-2020(प्रथम संशोधन) और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY), भारत सरकार (GoI) द्वारा राजपत्र अधिसूचना संख्या CG-DL-E-08042025- 262341 दिनांक 08 अप्रैल 2025 के तहत अधिसूचित इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण नीति के अनुपूरक के रूप में है।

2. उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स घटक विनिर्माण नीति-2025 के मुख्य उद्देश्य:

2.1 **<u>वैश्विक और घरेलू निवेशक को आकर्षित करना:</u>**– MeitY द्वारा अधिसूचित नीति को निवेशकों हेतु और अधिक आकर्षक बनाए जाने के उद्देश्य से अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रस्ताव के रूप में अतिरिक्त रूप से केंद्रीय योजना के बराबर टॉप अप/अतिरिक्त प्रोत्साहन और अन्य पात्र इकाइयों हेतु पूंजी निवेश प्रोत्साहन (पूंजी उपादान) तथा अन्य प्रोत्साहन के माध्यम से उत्तर प्रदेश को पसंदीदा निवेश राज्य के रूप में स्थापित करना।

2.2 **<u>चिन्हित श्रेणी के घटक विनिर्माण में आत्म निर्भरता</u>**:- पीसीबी, डिस्प्ले मॉड्यूल और लीथियम-आयन सेल जैसे महत्वपूर्ण उत्पादों/घटकों की विनिर्माण प्रक्रिया में स्थानीयकरण के उपयोग से इनके विषय में आयात निर्भरता को कम किया जाना।

2.3 **<u>रोजगार के अवसर में वृद्धि:-</u>** इस नीति के माध्यम से कुशल और अर्ध-कुशल रोजगार सृजन करते हुए समावेशी औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना।

2.4 **<u>आपूर्ति श्रृंखला को सशक्त करना:</u>** उत्तर प्रदेश आधारित आपूर्तिकर्ता पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करते हुए बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण का समर्थन करना।

2.5 **<u>नवाचार, अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना</u>**:- इस नीति अंतर्गत चिन्हित इलेक्ट्रोनिक घटक विनिर्माण के क्षेत्र में स्टार्टअप और एमएसएमई को बढ़ावा।

2.6 **राज्य के विद्यमान बुनियादी ढांचे के साथ पारस्परिक सहयोग व लाभ:-** पूर्व से विद्यमान इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर (ईएमसी), निर्मित डिफेंस कोरिडोर और औद्योगिक पार्कों में हुई प्रगति के कारण इलेक्ट्रोनिक घटक की उपयोगिता हेतु उपलब्ध बाजार की सम्भावना व घटक विनिर्माण हेतु उपलब्ध अवसंरचनात्मक सुविधाओं का उपयोग।

MeitY के द्वारा अधिसूचित **ECMS** के अनुक्रम में उत्तर प्रदेश द्वारा लागू की जा रही इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण घटक नीति (ईसीएमपी) 2025 यह सुनिश्चित करती है कि राज्य के निवेशकों को **MeitY** द्वारा प्राप्त प्रोत्साहन के साथ ही उसके ऊपर टॉप अप/अतिरिक्त प्रोत्साहन के रूप में किये गए पूंजी निवेश पर भी प्रोत्साहन लाभ अतिरिक्त रूप से प्राप्त हो। नीति का अन्तर्निहित उद्देश्य है कि इस प्रकार दोनों नीतियों के द्वारा निवेशको को प्रोत्साहित कर उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए अत्यधिक अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र निरुपित हो। यह नीति उत्तर प्रदेश के एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य की और अग्रसर होने के कदम के साथ है और इस नीति से यह लक्षित है कि राज्य को अगले पांच वर्षों में 50 बिलियन डॉलर के इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के विनिर्माण केंद्र (हब) के रूप में विकसित किया जाय।

3. लक्षित घटकों के श्रेणी के प्रकार

इस योजना के तहत लक्षित घटकों में निम्न शामिल है:-

तालिका-1

क्र.सं. (श्रेणी)	लक्षित घटक
A	**सब-असेम्बली**
1.	डिस्प्ले मॉड्यूल सब-असेम्बली
2.	कैमरा मॉड्यूल सब-असेम्बली
B	**बेयर घटक**
3.	नॉन-सर्फेस माउंट डिवाइस (नॉन-एसएमडी) इलेक्ट्रॉनिक अनुप्रयोगों के लिए पैसिव घटक **(ANNEXURE-1)** में उदाहरण सूची)
4.	इलेक्ट्रॉनिक अनुप्रयोगों के लिए इलेक्ट्रो-मैकेनिकल **(ANNEXURE-1)** में उदाहरण सूची)
5.	मल्टी-लेयर प्रिंटेड सर्किट बोर्ड (पीसीबी)
6.	डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए लिथियम-आयन सेल (भंडारण और गतिशीलता को छोड़कर)
7.	मोबाइल, आईटी हार्डवेयर उत्पादों और संबंधित उपकरणों के लिए एन्क्लोज़र्स
C	**चयनित बेयर घटक**
8.	हाई डेन्सिटी इंटरकनेक्ट (एच.डी.आई.)/मॉडिफाइड सेमी-ऐडिटिव प्रक्रिया (एम.एस.ए.पी.)/फ्लेक्सिबल पी. सी. बी.
9.	एसएमडी पैसिव घटक
D	**आपूर्ति श्रृंखला पारिस्थितिकी तंत्र और उत्पादन सहायक उपकरण**
10.	सब-असेम्बली (ए) और बेयर घटक (बी) और (सी) के निर्माण में उपयोग किए जाने वाले भाग/घटक **(ANNEXURE-1)** में निदर्शी सूची)
11.	इलेक्ट्रनिक्स निर्माण में उपयोग की जाने वाली उत्पादन सहायक उपकरण जिनमें उनकी उप-इकाइयां और घटक शामिल हैं

4. नीति के अंतर्गत इकाई के योग्यता/पात्रता मानदंड

इस नीति के अंतर्गत आवेदनों के लिए किसी इकाई हेतु सामान्य पात्रता/योग्यता मानदंड निम्नवत होंगे:

4.1. लक्षित घटक श्रेणी के उत्पाद (तालिका-1 अनुसार) के विनिर्माण के लिए ग्रीनफील्ड या ब्राउनफील्ड निवेश के लिए आवेदन करने वाली इकाई पात्र होगी। पात्रता हेतु एक विनिर्माण इकाई होगी, जिसे आवेदक योजना के तहत लक्षित घटक के उत्पाद (वस्तु) के विनिर्माण के लिए स्थापित करना चाहता है। यह एक ग्रीनफील्ड परियोजना हो सकती है, यानी एक नई व्यावसायिक इकाई या ब्राउनफील्ड परियोजना, यानी क्षमता का विस्तार/आधुनिकीकरण और/या मौजूदा इकाई का विविधीकरण। इकाई उत्तर प्रदेश राज्य के भीतर स्थित होनी चाहिए।

4.2. आवेदक प्रत्येक लक्षित खंड श्रेणी के उत्पाद के लिए अलग-अलग आवेदन प्रस्तुत करेगा।

4.3. योजना के अंतर्गत पात्रता हेतु, पूँजी निवेश एवं कारोबार से संबंधित सभी आँकड़े केवल आवेदक की उत्तर प्रदेश राज्य के भीतर स्थित विनिर्माण इकाई के लिए लक्षित घटक वस्तुओं के विषय में विनिर्माण हेतु अर्हता के लिए पात्र माने जाएँगे।

4.4. आवेदक केवल एक लक्षित घटक उत्पाद के लिए एक आवेदन प्रस्तुत करेगा। प्रस्तुत आवेदन में संशोधन के मामले में, आवेदक को प्रस्तुत आवेदन को वापस लेना होगा और एक नए आवेदन को पुनः प्रस्तुत करना होगा।

4.5. इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY), (GoI) द्वारा राजपत्र अधिसूचना संख्या CG-DL-E-08042025- 262341 दिनांक 08 अप्रैल 2025 के तहत अधिसूचित इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना (ECMS) के अन्तर्गत प्रोत्साहन हेतु पात्र मानते हुए चयनित कर मंत्रालय से उपरोक्त इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना (ECMS) के अधीन प्रोत्साहन प्राप्त करने वाली इकाई को उत्तर प्रदेश राज्य के अधीन किये गए निवेश के अंतर्गत किसी भी देय प्रोत्साहन हेतु पात्रता की अर्हता उसी दशा में प्राप्त होगी जबकि उपरोक्त इकाई द्वारा सम्बंधित उत्पाद विषयक पूंजीगत निवेश और बिक्री (टर्नओवर) राज्य में अवस्थित इकाई द्वारा सुनिश्चित किया गया हो।

4.6 योजना का उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में चिन्हित घटक के विनिर्माण में राज्य और राष्ट्र के आत्म निर्भरता को प्रोत्साहित करना है अतः योजना अंतर्गत लक्षित घटक श्रेणी के उत्पाद (तालिका-1 अनुसार) के विनिर्माण हेतु राज्य में निवेश करने वाली प्रत्येक इकाई पूंजीगत प्रोत्साहन हेतु इस नीति में पात्र होगीं भले ही उनके द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY), (GoI) द्वारा अधिसूचित Electronics Component

Manufacturing Scheme (ECMS) में निर्धारित पात्रता विषयक टर्नओवर, निवेश करने की न्यूनतम सीमा की अर्हता पूरी न की जा रही हो अर्थात उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा इस नीति के अधीन चिन्हित घटकों (Target segment of identified Electronic Components)के विनिर्माण सम्बन्धी पूंजी निवेश करने वाली इकाइयों को पूंजी उपादान हेतु पात्र माना जाएगा बशर्ते उनके द्वारा पूंजीगत निवेश के पश्चात उक्त चिन्हित घटक के वाणिज्यिक उत्पादन का कार्य आरम्भ कर दिया गया हो। किसी एक इकाई को एक ही श्रेणी में प्रोत्साहन अनुमन्य होगा अर्थात जिन इकाइयों को केंद्रीय योजना ECMS के अधीन प्रोत्साहन अनुमन्य होगा वो इकाइयाँ तदनुसार केंद्रीय योजना ECMS के अनुरूप राज्य की इस योजना में टॉप अप के रूप में अतिरिक्त प्रोत्साहन की पात्र होंगी। और जिन इकाइयों को केंद्रीय योजना में कोई प्रोत्साहन प्राप्त नहीं होगा वो इस योजना अंतर्गत वर्णित प्राविधान के अनुसार पात्रता के आधार पर पूंजी उपादान हेतु अर्हता रखेंगी।

4.7 योजना अवधि: उपरोक्त योजना केन्द्र सरकार द्वारा लागू Electronics Component Manufacturing Scheme (ECMS) योजना के समयावधि तक प्रभावी रहेगी। वर्तमान में योजना की समयावधि के विषय में यह प्राविधानित है कि कुल समयावधि 06 वर्ष की होगी, जिसमें 01(एक) वर्ष की परिपक्वता अवधि का भी प्राविधान है।

4.8. निवेश करने वाली योजना अंतर्गत चिन्हित पात्र इकाई के द्वारा योजना की क्रियान्वन अवधि में व्यवसायिक क्रियाकलाप किये जाने के विषय में उक्त इकाई के प्रबंधन /स्वामित्व के परिवर्तन की दशा में इकाई की पात्रता और योजना अंतर्गत प्रोत्साहन/ लाभ अनुमन्य किये जाने हेतु केन्द्रीय योजना Electronics Component Manufacturing Scheme (ECMS) के द्वारा निर्धारित किये गये प्राविधान, मार्गदर्शिका तथा इस विषय में राज्य सरकार द्वारा इस योजना (UPECMP) के क्रियान्वयन हेतु निर्गत की जा रही मार्गदर्शिका के अनुरूप इकाई को पात्रता/ प्रोत्साहन निर्धारण सुनिश्चित किया जायेगा।

5. उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण नीति 2025 (UPECMP 2025) के अधीन प्रोत्साहन :

5.1. <u>टॉप अप और अतिरिक्त प्रोत्साहन:</u>

<u>ECMS के अधीन पात्र इकाइयों को टॉप अप एवं अतिरिक्त प्रोत्साहन</u> : उत्तर प्रदेश में अवस्थित इकाइयाँ राज्य में किये गए निवेश और बिक्री/टर्नओवर के लेखे के आधार पर इस अतिरिक्त टॉप अप प्रोत्साहन की पात्र होंगी। इस प्राविधान के अधीन जिन निवेशको को MeitY के द्वारा लागू इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना (ECMS को राजपत्र

अधिसूचना संख्या CG-DL-E-08042025- 262341 दिनांक 08 अप्रैल 2025 के माध्यम से अधिसूचित) में केंद्रीय योजना में प्रोत्साहन लाभ प्राप्त होगा उनके विषय में तदनुसार **राज्य सरकार से भी ECMS योजना के बराबर और समतुल्य प्रोत्साहन अनुमन्य होगा (ANNEXURE-3) ।** यह अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रत्येक घटक श्रेणी के उत्पाद के लिए केन्द्रीय योजना में अनुमन्य प्रोत्साहन के समतुल्य और समान होगा परन्तु किसी भी दशा में किसी इकाई को मिलने वाला कुल प्रोत्साहन (केन्द्रीय और राज्य द्वारा दिए जाने वाले दोनों प्रोत्साहन को जोड़ कर) इकाई द्वारा किये गए पात्र पूंजी निवेश की शत प्रतिशत सीमा तक ही सीमित होगा और उसके ऊपर अनुमन्य नहीं होगा।

5.2 **पूंजी उपादान(इकाई जो MeitY के ECMS के साथ टॉप अप में आच्छादित नहीं हैं):-** इस प्रोत्साहन के लिए वो इकाई पात्र नहीं होगी जिसे MeitY की ECMS योजना के अधीन प्रोत्साहन अनुमन्य होने के साथ राज्य द्वारा टॉप अप प्रोत्साहन अनुमन्य किया जायेगा। अत: ऐसी इकाइयाँ जो कि इलेक्ट्रोनिक घटक के विनिर्माण हेतु राज्य में निवेश के लिए इच्छुक हैं परन्तु किसी कारण MeitY के द्वारा अधिसूचित ECMS योजना का लाभ पाने से वंचित रहती हैं उन्हें उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण नीति 2025 (UPECMP 2025) के अंतर्गत इस नीति में वर्णित प्राविधान के अनुरूप किये गए पात्र पूंजीगत निवेश पर 20% प्रोत्साहन पूंजीगत उपादान के रूप में अनुमन्य होगा। यह पूंजीगत उपादान इकाई द्वारा सृजित किये गए रोजगार से भी लिंक्ड होगा और इकाई को अनुमन्य कुल पूंजीगत उपादान की धनराशि का 20% ANNEXURE-2 के अनुसार चिन्हित घटक के अनुरूप रोजगार सीमा को पूरा करने पर वितरित किया जाएगा। यानी ऐसे मामलों में जहां कोई आवेदक निवेश के पश्चात वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने की सीमा को पूरा करता है, लेकिन वर्णित रोजगार सीमा को पूरा करने में असमर्थ है, उक्त इकाई को कुल पूंजीगत उपादान वितरण की धनराशि से 20% घटाकर प्रोत्साहन दिया जाएगा।

6. **राज्य में घरेलू सोर्सिंग/विनिर्माण हेतु अतिरिक्त प्रोत्साहन**:

6.1 लिथियम-आयन सेल (डिजिटल अनुप्रयोग हेतु-स्टोरेज एवं मोबिलिटी को छोड़कर): निर्दिष्ट प्रोत्साहन के अतिरिक्त, कैथोड एक्टिव मटेरियल (CAM) के घरेलू सोर्सिंग/निर्माण (राज्य में) पर 2% अतिरिक्त प्रोत्साहन दिया जाएगा, बशर्ते अन्य पात्रता मानदंड पूरे किए गए हों।

6.2 मल्टी-लेयर पीसीबी: निर्दिष्ट प्रोत्साहन के अतिरिक्त, मल्टी-लेयर पीसीबी विनिर्माण हेतु लैमिनेट के घरेलू सोर्सिंग/निर्माण(राज्य में) पर 1% अतिरिक्त प्रोत्साहन दिया जाएगा, बशर्ते अन्य पात्रता मानदंड पूरे किए गए हों।

6.3 यदि उक्त अतिरिक्त प्रोत्साहन (6.1 एवं 6.2)के लिए इकाई केंद्रीय नीति के अंतर्गत पात्र होती है, परन्तु घरेलू/सोर्सिंग विनिर्माण सम्बन्धी पात्रता के पूर्ण करने के स्रोत उत्तर प्रदेश राज्य के बाहर किसी अन्य राज्य में होने की स्थिति है तो इकाई इस अतिरिक्त प्रोत्साहन के लिए अनुमन्य राशि के (यथा 2%; 1%) महज पचास प्रतिशत (50%) तक ही राज्य से प्राप्त करने के लिए पात्र होगी।

6.4 आंशिक घरेलू सोर्सिंग/निर्माण की स्थिति में:

यदि CAM/लैमिनेट का आंशिक ही घरेलू सोर्सिंग/निर्माण किया गया हो, तो अतिरिक्त प्रोत्साहन आनुपातिक (Pro Rata) आधार पर दिया जाएगा।

7. अन्य प्रोत्साहन: वर्णित टॉप अप अतिरिक्त प्रोत्साहन व पूंजी उपादान प्रोत्साहन के प्राविधान के साथ ही अतिरिक्त रूप से इस नीति में पात्र इकाई को उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2020 (प्रथम संशोधन) के अधीन अनुमन्य अन्य प्रोत्साहन भी अनुमन्य होंगे जो निम्नलिखित प्रमुख क्षेत्र से संबंधित हैं:

- स्टाम्प ड्यूटी लाभ
- विकास प्राधिकरणों/राज्य एजेंसियों द्वारा आवंटित भूमि पर 25% सब्सिडी, (बुन्देलखंड एवं पूर्वांचल में 50% तक)
- इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी से छूट
- ब्याज सब्सिडी
- पेटेंट लागत प्रतिपूर्ति
- कौशल विकास एवं अन्य सहायता
- ईपीएफ प्रतिपूर्ति
- पट्टा किराया
- लॉजिस्टिक्स सब्सिडी
- अनुसंधान एवं विकास सहायता

8. पूंजीगत निवेश पर सब्सिडी (Eligible CAPEX for Capital Subsidy) में भवन एंव भूमि का मूल्य हेतु अनुमन्यता :

यदपि पात्र पूंजी निवेश की गणना में अधिसूचित केंद्रीय योजना **ECMS** में भूमि और भवन के निर्माण कार्य में किसी व्यय को स्थिर पूंजी निवेश हेतु पात्र नहीं माना गया है ,तथापि ऐसे निवेशक जो केंद्रीय योजना (ECMS) में आच्छादित होने से वंचित रहते हैं और राज्य द्वारा तदनुसार टॉप अप प्रोत्साहन के प्रविधान से आच्छादित नहीं होते परन्तु इस नीति के अधीन चिन्हित घटकों के विनिर्माण हेतु राज्य में निवेश करने के इच्छुक हैं, उन्हें नीति के अंतर्गत अतिरिक्त प्रोत्साहन के दृष्टिगत राज्य द्वारा दिए जाने वाले पूंजी

उपादान की गणना में पात्र स्थिर पूंजीगत निवेश की पात्रता के लिए भूमि व भवन की लागत को निम्नानुसार सीमा तक अनुमन्य किया जायेगा :- **भूमि व भवन की पर किये गए निवेश लागत को बिना सम्मिलित किये इकाई द्वारा की जा रही पात्र स्थिर पूंजी निवेश की राशि के 30% की सीमा अथवा रूपये 50 करोड़ तक में जो भी कम हो को आवश्यक भूमि और भवन (कारखाना भवन/निर्माण सहित) पर किया गया व्यय के रूप में पात्र पूंजी निवेश के रूप में शामिल किया जाएगा।** इस मद में अनुमन्यता हेतु किसी पूर्व से विद्यमान भूमि अथवा भवन में किये गए किसी प्रकार के निर्माण कार्य को दावा में नहीं शामिल किया जायेगा और इस लाभ हेतु इकाई द्वारा इस नीति के आरम्भ तिथि के बाद किसी भूमि के क्रय अथवा किये गए नवीन भवन निर्माण के व्यय के ब्यौरा को शामिल किये जाने पर पात्रता के आधार पर परीक्षणोंपरांत अनुमन्य किया जायेगा। इस प्रस्तर के अधीन अनुमन्य पूंजी उपादान विषयक प्रोत्साहन में पात्र स्थिर पूंजी निवेश के अधीन अन्य मदों के विषय हेतु पूर्व से विद्यमान उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स नीति 2020(यथा संशोधित) के प्राविधान के अनुरूप अनुमन्य पूंजी निवेश के प्राविधान लागू होंगे|

पुनः यह स्पष्ट किया जाता है कि इस प्रस्तर के अधीन यह अतिरिक्त प्रोत्साहन प्राविधान उन इकाइयों को अनुमन्य नहीं होगा जिन्हें केंद्रीय योजना (ECMS) अंतर्गत प्रोत्साहन प्राप्त होगा। केंद्रीय ECMS योजना के अंतर्गत चिन्हित किसी श्रेणी घटक में MEITY द्वारा पूंजी उपादान जिस प्रकार अनुमन्य होगा, राज्य की ऐसी इकाइयों को केंद्रीय योजना में अनुमन्य किये गए पूंजी उपादान के समतुल्य ही उपादान राज्य द्वारा अनुमन्य होगा और इस प्रस्तर का प्राविधान उनके लिए किसी अतिरिक्त उपादान की पात्रता की अर्हता नहीं प्रदान करेगा।

9. प्रोत्साहन संवितरण समय-सीमा:

9.1. **<u>केंद्रीय योजना के अधीन प्रोत्साहित इकाइयों को टॉप अप</u>**: ऐसी इकाइयाँ जो MeitY की ECMS योजना के अधीन प्रोत्साहन प्राप्त करेंगी वो इस योजना के अधीन उसी प्रकार के प्रोत्साहन को केंद्रीय प्रोत्साहन के समतुल्य प्राप्त करने के लिए पात्र होंगी। इस हेतु सम्बन्धित इकाई को MeitY में आवेदन के साथ-साथ राज्य में भी आवेदन करना होगा। अग्रेतर MeitY द्वारा प्रोत्साहन स्वीकृति वितरण प्राप्त होने के अधिकतम तीन माह में उक्त विवरण के साथ इकाई द्वारा राज्य को अवगत कराते हुए निर्दिष्ट प्रक्रिया अनुसार आवेदन करना होगा। रूपये 50 करोड़ की सीमा तक प्रोत्साहन एक किश्त में राज्य द्वारा वितरित किया जायेगा। यदि प्रोत्साहन धनराशि रूपये 50 करोड़ से अधिक होगी तो तदनुसार वार्षिक किश्त रुपये 50 करोड़ की निर्धारित करते हुए प्रोत्साहन अनुमन्य होगा। उक्त निर्धारण किये जाने में किसी एक वर्ष की प्रोत्साहन राशि के आगामी वर्ष में इकाई को प्राप्त होने वाली प्रोत्साहन से लिंक्ड नहीं रहेगा और वर्षानुवर्ष प्रोत्साहन की राशि के विषय में किश्त पृथक-पृथक निर्धारण किया जायेगा।

9.2. **<u>इकाई जो MeitY के ECMS के साथ टॉप अप में आच्छादित नहीं हैं:-</u>** ऐसी इकाइयों को पूंजी उपादान मद में संवितरण निम्नवत होगा: पात्र CAPEX (राज्य में किये

गए पात्र पूंजीगत निवेश)का 60% पहली किस्त में वितरित किया जाएगा और शेष 40% किस्त आगामी वर्षों में वितरित किया जाएगा। पहले वर्ष की किस्त की अधिकतम सीमा 30 करोड़ रुपये या CAPEX प्रोत्साहन का 60% जो भी कम हो, होगी। इकाई के CAPAEX प्रोत्साहन के वितरण के पहले वर्ष के बाद शेष राशि अगले वर्षों में वितरित की जाएगी, जिसमें प्रत्येक किस्त अधिकतम 25 करोड़ रुपये तक होगी। CAPEX प्रोत्साहन पात्रता 150 करोड़ रुपये से अधिक होने की स्थिति में, पहली किस्त 50 करोड़ रुपये की होगी और उसके बाद की किस्तें 4 बराबर किस्तों में होंगी, ताकि पाँच वार्षिक किस्तों में संपूर्ण CAPEX प्रोत्साहन का भुगतान किया जा सके।

9.3 किसी इकाई को समस्त श्रोतो से प्राप्त सभी प्रोत्साहनों का कुल योग, योजना अवधि में आवेदक द्वारा किए गए वास्तविक पात्र पूँजी निवेश के 100% तक सीमित होगा।

10.केस टू केस प्रोत्साहन:

किसी इकाई द्वारा बड़े निवेश परियोजनाओं (योजना अवधि में रूपये 2000 करोड़ से अधिक निवेश) के लिए, सशक्त समिति (Empowered Committee) मा. मंत्रिपरिषद को निम्न सिफारिश कर सकती है:

- इस नीति के तहत निर्धारित किसी भी मानदंड में छूट, या
- किसी भी प्रोत्साहन की प्रस्तावित सीमा में वृद्धि।

ऐसे निवेशकों (रूपये 2,000 करोड़ से अधिक) के मामले में इस नीति में अनुमन्य प्रोत्साहन के अतिरिक्त किसी भी प्रकार के अन्य प्रोत्साहन दिए जाने के लिए सशक्त समिति के द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में मा. मंत्री परिषद् द्वारा केस टू केस आधार पर प्रोत्साहन पैकेज निर्धारण किया जा सकेगा। इस विषय में यह ध्यान रखा जायेगा कि केस टू केस आधार पर किसी इकाई को प्रोत्साहन अनुमन्य करने में प्रस्तावित कस्टमाइज पैकेज में अनुमन्य समस्त स्रोतों से प्राप्त सभी प्रोत्साहन में अन्तर्निहित कुल वित्तीय उपाशय किसी भी दशा में इकाई द्वारा किये गए कुल पात्र स्थिर पूंजी निवेश की शत-प्रतिशत सीमा में ही अनुमन्य होगा अर्थात किसी भी इकाई को इस नीति के अधीन किसी भी केस टू केस प्रोत्साहन की अधिकतम सीमा उक्त इकाई द्वारा किये गए पात्र स्थिर पूंजी निवेश की शत प्रतिशत सीमा तक ही अनुमन्य हो सकेगी |

11. प्रोत्साहन अवधि:

11.1 इस नीति की कुल अवधि 6 वर्ष है। दिनांक 1 अप्रैल, 2025 से वित्त वर्ष 2025-26 में उत्तर प्रदेश राज्य में इकाई द्वारा किए गए पूंजीगत व्यय निवेश इस नीति के तहत निवेश

का दावा करने के लिए पात्र होंगे।

11.2 जिन इकाइयों द्वारा MeitY के ECMS और UPECMP दोनों का लाभ प्रदत्त होना है उन्हें इस विषय में भारत सरकार द्वारा प्रोत्साहन स्वीकृति की तिथि के बाद राज्य के प्रोत्साहन अनुमन्य होंगे|

11.3 इस योजना के अंतर्गत पात्रता किसी अन्य योजना के अंतर्गत पात्रता को प्रभावित नहीं करेगी परन्तु उत्तर प्रदेश सरकार की किसी अन्य योजना के अंतर्गत प्रोत्साहित किए गए निवेश/बिक्री इस योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन के लिए पात्र नहीं होंगे। आवेदक को इस संबंध में एक प्रबंधन वचनबद्धता प्रस्तुत करनी होगी।

12. **प्रोत्साहन हेतु लक्षित खंड श्रेणी -विशिष्ट पात्रता मानदंड**

12.1 डिस्प्ले मॉड्यूल उप-असेंबली (Display Module Sub-assembly):

- आवेदक को योजना के तहत प्रोत्साहन प्राप्त करने हेतु **फिल्म ऑन ग्लास (FOG)** एवं **चिप ऑन ग्लास (COG)** प्रक्रियाएँ (जहाँ लागू हों) सहित **संपूर्ण उप-असेंबली प्रक्रिया** उत्तर प्रदेश में करनी होगी।
- **अर्ध-असेंबल्ड उत्पाद (Semi-assembled Product)** से की गई अंतिम असेंबली पर प्रोत्साहन नहीं दिया जाएगा।

12.2 कैमरा मॉड्यूल उप-असेंबली (Camera Module Sub-assembly):

- आवेदक को **सब्सट्रेट पर घटकों की सरफेस माउंटिंग, फ्रंट ऑन लाइन (FOL) प्रक्रिया** एवं **एंड ऑफ लाइन (EOL) प्रक्रिया** (जहाँ लागू हों) सहित **संपूर्ण उप-असेंबली** उत्तर प्रदेश में करनी होगी।
- अर्ध-असेंबल्ड उत्पाद से की गई अंतिम असेंबली पर प्रोत्साहन नहीं दिया जाएगा।

12.3 मल्टी-लेयर पीसीबी (Multi-layer PCB):

- आवेदक को **दूसरे वर्ष से प्रतिवर्ष** निम्न में से कम से कम **एक भाग/घटक** का स्थानीयकरण करना होगा:
    - कोई भी **प्रोसेस केमिस्ट्री मटेरियल**,
    - कोई भी **फिनिश्ड केमिस्ट्री मटेरियल**,
    - **सोल्डर मास्क इंक**,
    - **टिन बॉल्स एवं सोल्डर**।
- **प्रोसेस केमिस्ट्री मटेरियल** एवं **फिनिश्ड केमिस्ट्री मटेरियल** का

स्थानीयकरण योजना अवधि में **केवल एक वर्ष** के लिए ही मान्य होगा।

12.4 डिजिटल अनुप्रयोगों हेतु लिथियम-आयन सेल (Li-ion Cells for Digital Applications - Storage & Mobility को छोड़कर):

- प्रोत्साहन हेतु आवेदक को निम्न शर्तें पूरी करनी होंगी:
    - **निर्मित Li-ion सेल** का उपयोग **डिजिटल अनुप्रयोगों** (स्टोरेज एवं मोबिलिटी को छोड़कर) के लिए होना चाहिए।
    - सेल की क्षमता 10,000 **mAh** से अधिक नहीं होनी चाहिए (प्रिज्मैटिक, पाउच या सिलिंड्रिकल किसी भी प्रकार का हो सकता है)।
    - **दूसरे वर्ष से प्रतिवर्ष** निम्न में से कम से कम **एक घटक** का स्थानीयकरण करना होगा:
        - **इलेक्ट्रोलाइट**,
        - **एनोड इलेक्ट्रोड**,
        - **कैथोड इलेक्ट्रोड**।

12.5 मोबाइल, आईटी हार्डवेयर उत्पादों एवं संबंधित उपकरणों के आवरण (Enclosures):

- आवेदक को **धातु, प्लास्टिक या कांच** से आवरण का निर्माण करना होगा।

फिनिशिंग/ सजावट (Finishing/Decoration) भी निर्माण प्रक्रिया का हिस्सा होनी चाहिए।

13. नीति क्रियान्वन हेतु शासी संरचना:

13.1 <u>नोडल एजेंसी</u>

प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के अंतर्गत उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति-2020 में नामित नोडल एजेंसी उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीएलसी) को नोडल एजेंसी नामित किया जाएगा। नोडल एजेंसी इस नीति के अनुरूप राज्य में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र के निरंतर विकास के लिए अनुकूल नीतिगत माहौल बनाने के लिए जिम्मेदार होगी। यह सभी पारिस्थितिकी तंत्र हितधारकों के साथ जुड़ाव के लिए एकल खिड़की के रूप में कार्य करेगा। एकल खिड़की संचालन का प्रबंधन करने के लिए, नोडल एजेंसी आउटसोर्स पेशेवरों और सलाहकारों के साथ पर्याप्त रूप से कार्यरत एक समर्पित परियोजना प्रबंधन इकाई (पीएमयू) स्थापित करेगी। नोडल

एजेंसी सचिवीय, प्रबंधकीय और कार्यान्वयन सहायता प्रदान करने तथा आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा समय-समय पर सौंपी गई अन्य जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए जिम्मेदार होगी। नीति के क्रियान्वन की प्रशासकीय व्यस्था एवं प्रबंधन हेतु पूर्व से प्रचलित उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति-2020 (प्रथम संशोधन) के क्रम में निर्गत दिशा-निर्देशों की व्यवस्था अनुरूप निवेशक इकाई को स्वीकृत वित्तीय लाभों की राशि के 2% के समतुल्य धनराशि प्रशासनिक व्यय के रूप में नोडल संस्था को प्राप्त होगी, जिसे संवितरण की धनराशि से कटौती कर लिया जायेगा।

13.2 नीति कार्यान्वयन इकाई (पीआईयू):

इस नीति के अंतर्गत नोडल संस्था के कार्यों की देख-रेख के लिए नीति कार्यान्वयन इकाई के रूप में पूर्व से उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति-2020 के क्रियान्वन हेतु आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में गठित नीति क्रियान्वन इकाई (Project Implmentation Unit) द्वारा कार्य किया जायेगा। पीआईयू निवेश प्रस्तावों की मंजूरी, प्रोत्साहनों का वितरण, अधिकार प्राप्त समिति को सिफारिशें करने आदि सहित नीति के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होगा। पीआईयू इस योजना के अंतर्गत पात्र आवेदकों द्वारा किए गए निवेश, रोजगार सृजन, उत्पादन, घरेलू मूल्य संवर्धन आदि के संबंध में की गई प्रगति का आकलन करने के लिए समीक्षा कर सकेगी।

13.3 अधिकार प्राप्त समिति (ईसी)

उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति-2020 के क्रियान्वन हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति (Empowerd Committee) द्वारा इस नीति के प्रभावी कार्यान्वयन की निगरानी की जाएगी। सशक्त समिति का चार्टर नीति के प्रभावी कार्यान्वयन, नीति के विषय में समय-समय पर अनुभव किये गए किसी प्रकार के व्यावहारिक कठिनाई के निराकरण और सभी स्तरों पर निवेशकों के मुद्दों के समय पर समाधान के संबंध में अंतर-विभागीय समन्वय और दिशा निदेश निर्गत करने से संबंधित होगा।

14. परियोजना को लेटर आफ कम्फर्ट और प्रोत्साहन संवितरण हेतु सक्षम प्राधिकार:

14.1 इस नीति में इकाइयों के प्रस्ताव के आधार पर पात्र इकाई को लेटर आफ कम्फर्ट निर्गत करने के लिए पूर्व से विद्यमान उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2020 (प्रथम संशोधन) के अधीन गठित नीति क्रियान्वन इकाई की

संस्तुति पर रूपये 200 करोड़ तक के निवेश की परियोजनाओं पर विभागीय मंत्री जी के अनुमोदनोपरान्त एवं रूपये 200 करोड़ से अधिक के निवेश की परियोजना को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित सशक्त समिति की संस्तुति के उपरांत मा. मंत्री परिषद् के अनुमोदन प्राप्त कर विभाग द्वारा लेटर आफ कम्फर्ट निर्गत किया जायेगा।

14.2 **प्रोत्साहन संवितरण हेतु सक्षम प्राधिकारी:** इकाई की पात्रता के आधार पर प्रोत्साहन संवितरण हेतु भारत सरकार द्वारा नीति में बनाई गयी व्यवस्था के अनुरूप प्राधिकार निम्नवत है:

14.2.1 प्रोत्साहन संवितरण की वित्तीय सीमा रूपये 100 करोड़ तक के लिए पी आई यू की संस्तुति के क्रम में मा० विभागीय मंत्री के अनुमोदन उपरांत प्रोत्साहन वितरण स्वीकृत किया जायेगा।

14.2.2 रूपये 100 करोड़ से रुपये 200 करोड़ तक की सीमा के प्रोत्साहन का संवितरण मुख्य सचिव की समिति की संस्तुति के क्रम में विभाग द्वारा विभागीय मंत्री जी के अनुमोदन प्राप्त किये जायेंगे।

14.2.3 रुपये 200 करोड़ से अधिक की प्रोत्साहन संवितरण राशि अन्तर्निहित वाली परियोजनाएं अधिकार प्राप्त समिति की सिफारिशों पर राज्य मंत्रिमंडल से मंजूरी के अधीन होंगी।

14.3 नीति में निर्धारित सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्राप्त स्वीकृति के क्रम में इस नीति के अधीन प्रोत्साहन संवितरण विषयक वित्तीय मंजूरी/धनराशि अवमुक्ति प्रमुख सचिव आई टी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा निर्गत की जाएगी।

15. नीति के क्रियान्वन में व्यावह्रारिक कठिनाई का निराकरण:

15.1 इस नीति के अधीन प्रोत्साहन संवितरण के लिए सामान्य लेखा प्रक्रिया, अभिलेखीय रख-रखाव और अन्य बिन्दुओं के विषय में केंद्रीय योजना **ECMS** के अनुरूप ही एक विस्तृत दिशा निदेश/गाइडलाइन आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग द्वारा विभागीय मंत्रीजी के अनुमोदन से जारी किया जायेगा।

15.2 नीति अंतर्गत किसी संशोधन के विषयगत सशक्त समिति के संस्तुति के क्रम में विभाग द्वारा मा. मंत्रिपरिषद के अनुमोदन से उक्त को लागू किया जायेगा।